



2026:AHC:163731

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26109 वर्ष 2026

मुनीम

खा

.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी

राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

गर्जेन्द्र कुमार

गौतम, कमलेश गौतम

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय

अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन अधीनस्थ अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 341 सन् 2026 पुलिस स्टेशन - औरैया, जिला - औरैया में बी.एन.एस. की धाराओं 318(4), 338, 336(3), 340(2), 281, 106(1), 125(बी) के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे किसी गुप्त मकसद से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे उन्होंने कहा कि आवेदक का अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उसने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। आगे उन्होंने कहा कि आवेदक कथित वाहन का चालक है। यह घटना लापरवाही के कारण घटी है। आगे उन्होंने कहा कि अन्वेषण अधिकारी ने आवेदक के खिलाफ झूठी बरामदगी तैयार की है। कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी/स्वतंत्र गवाह नहीं है। आवेदक ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, इसलिए एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों के अनुसार आवेदक के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने आगे कहा कि सह-अभियुक्त अमीन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे कहा कि आवेदक 29.05.2026 से जेल में बंद है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. जमानत की अर्जी का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया है।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, सजा की गंभीरता और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक मुकदमे की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक मुनीम खान को उपरोक्त मामले में व्यक्तिगत बंधपत्र भरने और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानतदार पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i). आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii). आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/ उसे डराएगा नहीं।

(iii). आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(iv). आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(v). आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

8. यह भी निर्देश दिया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को स्वीकार करने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निपटारे के संबंध में पक्षों द्वारा पेश किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का मुकदमे के विचारण के दौरान मामले की गुण - दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

5 अगस्त, 2026

वी.के. उपध

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।